संख्या-1782/चौवालिस-1/86

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/
नोयडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के अतिवयता आयु (Age of Superannuation) प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति के मामलों में सेवा निवृत्ति का वास्तविक दिनांक।

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1986।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

संविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगमों, उपक्रमों के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के सम्बन्धित आर्टिकिल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगम पर नियन्त्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय ने सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिवयता आयु (Age of Superannuation) पूरी करने पर वास्तविक दिनांक को सेवा निवृत्त किये जाने से सम्बन्धित निम्न स्वीकृति प्रदान की है।

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों का प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी आदेश जारी होने के दिनांक से उस माह के अन्तिम दिनांक की अपरान्ह को सेवा निवृत्त हुआ करेगा जिसमें उसके सेवा निवृत्त होने की तिथि पड़ती हो।

(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि किसी महीने की पहली दिनांक हो, वह अतिवयता आयु प्राप्त करने पर उसके पूर्व वाले मास के अन्तिम दिनांक के अपरान्ह में सेवा निवृत्त होगा।

2- समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया इस व्यवस्था को अपनी सम्बन्धित सेवा नियमावली में शामिल कर लें।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह,
सचिव।

संख्या-1782 (1)/चौवालिस-1-86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित समस्त सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।